

DDN PS 1056
13/3 13/3/12

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : प.4(12)वित्त/राजस्व/04 पार्ट II

जयपुर, दिनांक : 5 MAR 2012

परिपत्र

विषय : नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के सहअंशदान/राजकीय अंशदान के आहरण के संबंध में।

नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत प्राप्त कटौतियों में कर्मचारी के अंशदान व राजकीय अंशदान के मिलान करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस की जाती रही है। योजना के अन्तर्गत समस्त कटौतियों के विवरण एवं राशि को केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी एवं ट्रस्टी बैंक को स्थानान्तरित करने के लिए दोनों राशियों का मिलान होना अतिआवश्यक है। जिसके अभाव में कटौतियां अपलोड नहीं हो पाती है एवं उस पर ब्याज प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे अंशभागियों को नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।

अतः राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 15.2.2012 द्वारा निर्णय लिया गया है कि माह मार्च देय अप्रैल, 2012 के वेतन से राजकीय सह अंशदान हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पृथक से बिल नहीं बनाया जायेगा। नवीन पेंशन योजना के कर्मचारियों के लिए राजकीय अंशदान एकमुश्त आहरित किये जाने के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग को अधिकृत किया गया है। अतः कर्मचारी के अंशदान के बराबर राजकीय अंशदान की राशि राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के जिला कार्यालय द्वारा निम्न बजट मद से आहरित किया जायेगा :-

- 2071 - पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ
01 - सिविल
117 - निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान
(01) - निर्धारित अंशदान की पेंशन योजना में सरकार का अंशदान
89 - अंशदान पेंशन योजना में सरकार का अंशदान (आयोजना भिन्न)

अतः समस्त कोषाधिकारियों एवं आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च देय अप्रैल, 2012 के वेतन से राज्य कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के राजकीय अंशदान का पृथक से बिल पारित नहीं किया जाये। उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

विशेषज्ञ

विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (व्यय) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त कोषाधिकारी, जिला
5. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

1863
15/3/12

384

क्रमांक:- प-19(ए)/एनपीएस/2010/

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग सम्भाग.....
3. समस्त कोषाधिकारी जिला.....
4. उप/सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग जिला.....को भेजकर लेख है कि जिला कार्यालयों के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों का आप द्वारा परिपत्र की प्रति पृष्ठाकित कर परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावे

अतिरिक्त निदेशक (पीएफ/एनपीएस)
राज्य बीमा एवं प्रा0नि0 विभाग
राज0 जयपुर